<u>विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-24 का उत्तर</u>

प्रश्न	उत्तर
24 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-खैरा, थाना- रानीपुर, जनपद-बहराइच के निवासियों की राजस्व संबंधी समस्या का समाधान कराये जाने हेतु डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, "गुरू" जी सभापति शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जाँच समिति उ0प्र0 विधान परिषद का पत्र दिनाँक 29 नवम्बर,2024 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र में इंगित किसानों की समस्या का समाधान करा दिया है?	ग्राम जिगिनिया जसकरन सिंह, परगना हिसामपुर, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच स्थित गाटा संख्या-655मि0 रकबा 0.081 हे0 बच्चेलाल चौहान पुत्र शिवपूजन व शिवकुमार सिंह पुत्र ज्वालाबक्श सिंह, निवासी ग्राम खेरा नि0 कटघरा कला व श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह, निवासी भानपुर के नाम श्रेणी 1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। मौके पर उपस्थित होकर जांच करने पर विपक्षी करणवीर सिंह पुत्र अरूणवीर सिंह नि0 हरिहरपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अपनी संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-934मि0/0.162 हे0 व 135मि0/0.324 हे0, 939/0.234 हे0, 892/0.101 हे0 पर कई वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा है तथा गाटा संख्या-655 मि0 रकबा 0.081 हे0 पर उनका कोई कब्जा नहीं है। गाटा संख्या-655 मि0 रकबा 0.081 हे0 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। उभयपक्षों को विवादित गाटा संख्या-655मि0 रकबा 0.081 हे0 पर न्यायालय सिविल जज (अवर खंड) कैसरगंज, बहराइच मुकदमा नंबर 229/2021 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 22-01-2021 का अनुपालन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

	आवेदक द्वारा कब्जा करने की संभावना व्यक्त की गई है जबकि प्रश्नगत भूमि मौके पर खाली है।
(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त प्रकरण में जाँचोपरान्त नियमानुसार न्यायोचित कार्यवाही करायेंगे?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।